

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता, कंवरसैन लिफ्ट खण्ड, लूणकरनसर

Mobile 8306500456, Email : xenksl.ignp@rajasthan.gov.in

क्रमांक :-1656

दिनांक:-27/09/2021

ई निविदा सूचना संख्या EE/03 OF YEAR 2021-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस कार्यालय द्वारा निविदा प्रपत्र में अंकित कार्य के लिए राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को एवं राज्य सरकार/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राज्य सरकार के विभिन्न समकक्ष श्रेणी के संवेदक हों, से निर्धारित प्रपत्र में E-procurement प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	मुख्यालय का नाम अधिषाषी अभियन्ता कंवरसैन लिफ्ट खण्ड इ.ग.न.प. लूणकरनसर (बीकानेर)					
	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि लाखों में	धरोहर राशि 2 प्रतिशत (रूपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा शुल्क (रूपये)	ई-प्रक्रिया शुल्क (रूपये)
	NIB Code:- IGB2122A0050					
1	Balance work of Repair of lining and dowel of VMD RD 0 to 30.00 for the year 2019-20. UBN:- IGB2122WSOB00499	431875	8650	30 Days	1000	1000
2	Balance work of Repair of lining and dowel of VMD RD 0 to 30.00 for the year 2019-20. UBN:- IGB2122WSOB00500	3553671	71100	45 Days	1000	1000
3	Balance work of Repair of lining and dowel of VMD RD 30 to 45.00 for the year 2019-20. UBN:- IGB2122WSOB00501	6169439	123400	180 Days	1000	1000
4	Balance work of Repair of lining and dowel of VMD RD 55 to 70.00 for the year 2019-20. UBN:- IGB2122WSOB00502	6120712	122500	180 Days	1000	1000
5	Balance work of Repair of lining and dowel of VMD RD 70 to 83.00 for the year 2019-20. UBN:- IGB2122WSOB00503	3308979	66200	180 Days	1000	1000
निविदार्ये खोलने का स्थान :- अधिषाषी अभियन्ता कंवरसैन लिफ्ट खण्ड इ.ग.न.प., लूणकरनसर (बीकानेर)						
ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की तिथि		30/09/2021 to 17/10/2021 up to 6:00 pm				
ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि		18/10/2021 up to 10:00 am				
धरोहर राशि के एवज में बिड घोषणा पत्र जमा करने की तिथि		18/10/2021 up to 4:00 pm				
निविदा खोलने की तिथि		20/10/2021 (1:00 PM)				
निविदा शुल्क राशि		Through Egrass Rs. 1000/- (To be paid in favour of DDO Code 24741-Executive Engineer, Kanwarsain Lift Division, IGNP Loonkarnsar (Bikaner)				
प्रोसेसिंग शुल्क राशि		Through Egrass Rs. 1000/- (To be paid in favour of Managing Director, RISL, Jaipur Payable at Jaipur.)				

अधिषाषी अभियन्ता
कंवरसैन लिफ्ट खण्ड, इ.ग.न.प.
लूणकरनसर (बीकानेर)

बोली कि महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है:

1. बोली प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को बिड को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
2. बोली जमा करवाने के बाद बोली की आगे की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन सम्पादित की जायेगी।
3. बोली खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि समस्त बोलियां नहीं खोली जाती है तो उसके अगले कार्य दिवस को बोलियां खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
4. प्रस्तुत दरे बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवसो तक बोली स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. यदि बोलीदाता के नजदिकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पत्नी/पति) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यलय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसको कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
6. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के दो वर्ष तक बोलीदाता अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। यदि बोलीदाता अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति बोली जमा कराने से पहले अथवा बोलीदाता के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
7. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण निरस्त करने के समस्त अधिकार बिड स्वीकारकर्ता के होंगे।
8. ई- टेण्डरिंग के लिए बोली दाता हेतु निर्देश :-

अ. उक्त बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

ब. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेब साईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।

स. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कापी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।

द. कोई भी बोली दाता, बोली को इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

य. समस्त बोली दाता, बोली के सभी प्रपत्रों में संबंधित आवश्यक सभी सुचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।

र. ऑन लाईन बोली भरते समय सम्बन्धित निर्देशों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

10. यदि बोलीदाता सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करता है या करता हुआ पाया जाता है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 82 अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

11. करार का निष्पादन :-

(1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिस तारीख को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित कर दिया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो वहां उस तारीख से दस दिवस के भीतर जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 या राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्च पर, विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिये कहा जायेगा।

12. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 का पूर्ण अध्ययन कर लें। उक्त नियम एवं अधिनियम भी प्रभावी रहेंगे।


13. बोली में भाग लेने वाले बोली दाता को जीएसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14. बोली के लिए पात्रता की शर्तें बिड डोक्यूमेंट जो कि ऑन लाईन कर दिया गया है, में वर्णित है।

15. राज्य सरकार के निर्देशानुसार संवेदकों द्वारा बिड धरोहर राशि के स्थान पर (Rajasthan Non Judicial Stamp Paper of 50/- (excluding surcharge on Stamp Paper, as per Rules) 50/- रु. के स्टाम्प पर बिड घोषण पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

17. बिड घोषणा पत्र संवेदको को बिड की शर्तों के अनुसार निर्धारित दिनांक को कार्यालय एवं वेबसाइट पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

18. प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग बिड घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा


अधिसायी अभियन्ता
हंदरचेन सिपट बंड, इ.गं.न.प.
पुस्तक प्रकाशक